'विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर कितने दिनों तक बिना निर्णय लिए बैठे रह सकते हैं?'

राजेन्द्र राठौड़ ने हाईकोर्ट में कहा कि, ''स्पीकर द्वारा अनिर्णय की स्थिति बनाए रखना आलाकमान को दबाव में लाने का नया तरीका है, जो ना केवल लोकतंत्र के साथ मजाक है, बल्कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है।''

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 81 विधायकों द्वारा विधानसभा स्पीकर को इस्तीफे देने से जुड़े मामले में लंबित याचिका में संशोधन के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की है। जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ की जनहित याचिका पर दिए।

सुनवाई के दौरान विधानसभा सचिव की ओर से ए.जी. एम.एस. सिंघवी और अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर की ओर से निर्णय कराने का आग्रह किया था। स्पीकर ने गत 13 जनवरी को इस्तीफों पर अपना फैसला दे दिया है। ऐसे में याचिका में की गई प्रार्थना पूरी हो गई है, ''इसलिए याचिका को निस्तारित किया जाए''।

वहीं राजेन्द्र राठौड़ ने अपने अधिवक्ता हेमंत नाहटा के साथ संयुक्त रूप से पैरवी करते हुए कहा कि विधानसभा स्पीकर ना तो सदस्यों के इस्तीफों की कॉपी रिकॉर्ड पर लाए और ना ही उनके इस्तीफों में जांच के आदेश ही दिए।

राजस्थान के कांग्रेस विधायकों द्वारा स्पीकर को सौंपे गए इस्तीफा प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ भी मंगलवार को अदालत पहुंचे।

राठौड़ की ओर से अदालत को बताया गया कि,'' स्पीकर ने एमएलए के इस्तीफों पर फैसला देने में 113 दिन की देरी की है। ऐसा करना कांग्रेस के आलाकमान को दबाव में लाए जाने का एक नया तरीका है, जो ना केवल लोकतंत्र के साथ मजाक है बल्कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए भी घातक है।'' ऐसे में अदालत इस बिंदु पर भी संज्ञान लेकर स्पीकर की ओर से एमएलए के इस्तीफों पर निर्णय करने की वैध अवधि भी तय करे, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।

■ **इस पर अदालत ने राठौड़ के दलीलों को संगीनता से लेते हुए कांग्रेस के 81 विधायकों द्वारा राजस्थान विधानसभाध्यक्ष को इस्तीफे देने से जुड़े मामले में लंबित याचिका में संशोधन के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए अब मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की है**

गौरतलब है कि जनहित याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस के विधायकों ने 25 सितंबर 2022 को विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे दिए थे। इसके बाद 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 12 नवंबर और 21 नवंबर को याचिकाकर्ता ने स्पीकर को प्रतिवेदन देकर उनके इस्तीफों पर निर्णय करने का आग्रह किया था, लेकिन स्पीकर ने एमएलए के इन इस्तीफों को लेकर कोई निर्णय नहीं किया है। इसलिए स्पीकर से एमएलए के इस्तीफों पर निर्णय कराए जाए।

पडौसी राज्यों के भाजपा नेता डालेंगे राजस्थान में डेरा

जयपुर। विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने आक्रामक और खास रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में प्रवासी सांसदो और विधायकों की बैठक ली। इसमें नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, गुजरात के पूर्व उपमुख्यमंत्री एंव प्रदेश चुनाव सह-प्रभारी नितिन पटेल, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश सह-प्रभारी विजया राहटकर और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया मौजूद रहे। इस दौरान सभी को विधानसभावार कार्यक्रम आवंटित किए गए। इन सभी कार्यक्रमों का समन्वय प्रदेश मुख्यालय पर किया जाएगा। वही परिवर्तन संकल्प यात्रा के बाद अब पडौसी राज्यों के भाजपा नेता राजस्थान में कैंप कर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। उत्तरप्रदेश, दिल्ली व हरियाणा सहित कई राज्यों के बड़े नेता जिलों में विधानसभा चुनाव तक प्रवास कर और संगठन को एकजुट करने का काम करेंगे। दूसरे राज्यों के भाजपा नेताओं के प्रवास को लेकर आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय में समन्वय बैठक हुई। जिसमें सभी जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारी सहित पडौसी राज्यों के प्रमुख नेता मौजूद रहे। बैठक में परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर भी जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारी ने प्रदेश नेतृत्व के सामने फीडबैक दिया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई।

मेयर पद से पुनः निलंबन को मुनेश ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राज्य सरकार की ओर से हैरिटेज नगर निगम जयपुर की महापौर मुनेश गुर्जर को गत 22 सितंबर को आदेश जारी कर वापस निलंबित करने की कार्रवाई की थी। सरकार के इस फैसले को मुनेश गुर्जर ने मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है। मुनेश गुर्जर की इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। वहीं दूसरी ओर मामले में राज्य सरकार की ओर से कैवियट पेश की गई है। ऐसे में अब हाईकोर्ट दोनों पक्षों को सुनकर अंतरिम आदेश पारित करेगा।

याचिका में प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव व निदेशक सहित अन्य को पक्षकार बनाया है। याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने प्रार्थिया का निलंबन नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के प्रावधानों व तथ्यों के विपरीत जाकर किया है। मामले में उसके खिलाफ प्रावधानों के खिलाफ जाकर जांच की गई और इसमें वो ही तथ्य थे जो कि पंचनामा रिपोर्ट व एफआईआर से साबित नहीं हो पाए हैं। इसलिए उसके निलंबन आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाकर उसे रद्द किया जाए। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने मुनेश को दुबारा निलंबित करने वाले आदेश में कहा है कि नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के प्रावधानों के तहत उन पर पद के दुरुपयोग व कर्तव्य पालन में प्रतिकूल आचरण का आरोप लगाया है। नगर निगम के पट्टे जारी करने की एवज में मेयर के पति सुशील गुर्जर की ओर से रिश्वत मांगने से जुडे मामले में प्रथम दृष्टया मुनेश भी शामिल है और इसके लिए वह भी पूरी तरह से दोषी व उत्तरदायी है। ऐसे में उसे मेयर पद से निलंबित किया जा रहा है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने मुनेश को उनके पति सुशील गुर्जर से जुडे इसी मामले में शामिल मानते हुए निलंबित किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी। वहीं बाद में राज्य सरकार ने निलंबन आदेश को वापस ले लिया था। जिसमे बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया था।

■ **मुनेश गुर्जर की इस याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी**

कई सांसदों के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा

जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में कई सर्वे करवा रही है। राजस्थान में भाजपा कई सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। पार्टी में चर्चा है कि करीब आधा दर्जन सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, हालांकि कई सांसद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो कई सांसद विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में करीब 7 सांसदों को टिकट मिलने के बाद अब राजस्थान में इस चर्चा को और बल मिल रहा है। सांसदों को चुनाव लडाने के सवाल पर चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सांसद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कांग्रेस में तो हारने वालों को टिकट दिया जा रहा। राजस्थान में हम चुनावों को लेकर जब बैठक करेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। वहीं टोंक-सवाई माधोपुर से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कहा कि पार्टी जो उसके आधार पर ही हम चुनाव लड़ते हैं। कार्यकर्ता से ही सांसद-विधायक बनता है, जो भी जिम्मेदारी आलाकमान देगा, उसे निभाएंगे। हालांकि जौनपुरिया ने कहा कि मेरी विधानसभा चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं है।

'मानगढ़ धाम बनेगा राष्ट्रीय स्मारक'

जयपुर, (का.सं.)। बांसवाड़ा के प्रसिद्ध स्मारक एवं समाज सुधारक गोविंद गुरु की साधना स्थली मानगढ़ धाम को राज्य सरकार राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित कराएगी। इसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने डीपीआर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा की थी।

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

तीये की बैठक

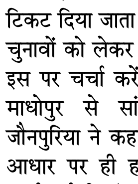

पूज्य पिताजी **श्री जुगल किशोर जैन** (गंगवाल) गुढा कटला वालो का स्वर्गवास 26.09.2023 को हो गया है। तीये की बैठक 28.09.2023 दोपहर 1:30 बजे दिगंबर जैन मंदिर, कांवटिया सर्किल, शास्त्री नगर, जयपुर में होगी।
शोकाकुलः शांति देवी (पत्नी), जितेंद्र-सर्चना (पुत्र-पुत्रवधु), प्रियांश, मीनल (पौत्र, पोत्री), सुनीता (साधना)- प्रसन्न गोधा, पिंकी- पवन काला, रमिता-नीरज शाह (पुत्री- दामाद), प्रीतेश-सुरभी, हितेश- कनिका, दीक्षांत-रितिका, हिमांशु, अनिकेत (दोहिता-वधु), प्रेरणा- अखिल, ईशा (दोहिती-दामाद) समस्त गंगवाल परिवार, गुढा कटला वाले। ससुराल पक्षः महावीर, अविनाश, अतिन भौंसा। मोबाईल-9414455213

''रन फॉर आमेर'' मैराथन में 5 दिन तक दौड़ेंगे हजारों युवा

उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनियां ने मंगलवार सुबह मानपुरा में मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई।

जयपुर (कासं)। आमेर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां विकास, रोजगार और खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमेशा अनूठी पहल कर नवाचार करते हैं।

इसी क्रम में उन्होंने पांच दिवसीय मैराथन दौड़ प्रतियोगिता ''रन फॉर आमेर'' का मानपुरा से मंगलवार सुबह 6:15 बजे शंखनाद किया। आरसीए क्रिकेट स्टेडियम चौप से दौलतपुरा टोल प्लाजा तक आयोजित की गई ''रन फॉर आमेर'' मैराथन में युवाओं ने हजारों की संख्या में हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम स्थान रोहित खोजी गुर्जर, द्वितीय स्थान विजेंद्र गुर्जर और तृतीय स्थान रवि प्रजापत ने प्राप्त किया, जिन्हें सतीश पूनियां और स्थानीय गणमान्य बड़े-बुजुर्गों ने सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। बता दें कि आज से लेकर 30 सितंबर तक पांच दिवसीय आमेर मैराथन का सभी पांच मंडलों में सुबह 6:15 बजे आयोजन के कार्यक्रम हैं। बुधवार 27 सितंबर को रामपुरा मंडल में एन. के. पब्लिक सी.से. स्कूल, सीकर रोड, राजावास के सामने से टांटियावास टोल प्लाजा तक, 28 सितंबर को अचरोल में चंदवाजी स्कूल ग्राउंड पर, 29 सितंबर को जालसू मुख्य स्टैंड से पंचमुखी हनुमान मंदिर तक, 30 सितंबर को आमेर शहर में ''रन फॉर आमेर'' मैराथन आयोजित की जायेगी।

कार्यक्रम में आमेर प्रधान बद्रीनारायण बागड़ा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भगवान शर्मा, समाजसेवी लालचंद बागड़ा सहित स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि सतीश पूनियां आमेर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर विभिन्न कंपनियों के माध्यम से रोजगार मेला का आयोजन कर चुके हैं और हेल्थ की जागरूकता के लिये स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन इत्यादि कार्यक्रम भी कर चुके हैं।

86 सरकारी स्कूल क्रमोन्नत होंगे

जयपुर। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित 86 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दी है। उन्होंने इन विद्यालयों हेतु 1118 विभिन्न पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। नव सृजित पदों में वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, प्रधानचार्य, कनिष्ठ सहायक एवं सहायक कर्मचारी के पद शामिल हैं।

'जल व स्वच्छता संस्थान की कैग ऑडिट क्यों नहीं?'

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल एवं स्वच्छता संस्थान की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से ऑडिट नहीं कराने पर राज्य सरकार, जल एवं स्वच्छता संस्थान और कैग से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी और अधिवक्ता टीएन शर्मा ने अदालत को बताया कि पीएचईडी विभाग के अधीन कार्य करने वाले जल एवं स्वच्छता संस्थान को केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से करोड़ों रुपए का बजट मिलता है। संस्थान की ओर से करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी खातों का ऑडिट सरकारी संस्था से नहीं कराया जाता। जबकि कैग एक्ट की धारा 14(1) में प्रावधान है कि जिस सरकारी संस्थान को केन्द्र या राज्य सरकार से 25 लाख रुपए से अधिक का फंड मिलता है तो उस संस्थान की कैग ऑडिट जरूरी है। इसके अलावा राज्य सरकार के सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के तहत राज्य सरकार के सभी फंड की ऑडिट राज्य के विभाग से करना जरूरी है। इसके बावजूद भी जल एवं स्वच्छता संस्थान की सरकारी ऑडिट नहीं कराई जाती। याचिका में आरोप लगाया गया कि जल एवं स्वच्छता संस्थान को करोड़ों रुपए फंड मिलने के बाद भी इसके खातों की जांच कैग से ना करवाकर निजी सीए से करा कर इतिश्री कर ली जाती है।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा को 'डूबता जहाज' बताया

जयपुर (कासं)। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा को 'डूबता जहाज' बताते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, वह सच कहा। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, वहां कोई यह बात नहीं करता कि सरकार किसकी आएगी, वहां तो स्थित है कि बीजेपी डबल डिजिट तक पहुंच पाएगी या नहीं। मध्य प्रदेश में तो इतनी नाराजगी है कि शिवराज सिंह को लोग गालियां दे रहे हैं। वैसी स्थिति राजस्थान में नहीं है, क्योंकि गहलोत एक-एक व्यक्ति एक-एक सीट को जानते हैं।

जयपुर में मीडिया से बात करते हुए तिवारी ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की अब तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, उन सब सरकारों का कामकाज ले लीजिए और पांच साल का गहलोत सरकार का काम देख लीजिए उन सब पर गहलोत सरकार के काम भारी दिखेंगे। गहलोत सरकार का 5 साल का कार्यकाल सब पर भारी है। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। गहलोत सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। जितनी भी बीजेपी की राज्य सरकारें हैं। उनमें किसी राज्य में उतना काम नहीं हुआ, जितना गहलोत सरकार ने किया है। बीजेपी शासित किसी सरकार में इतना काम हो तो बता दें। मोदी सरकार के झूठे वादों पर राजस्थान की जनता को विश्वास नहीं है।

■ **तिवारी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए 156 सीटें आने का दावा किया**

तिवारी ने कहा कि सहयोगी दल मोदी से नहीं डर रहे हैं। वे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डर रहे हैं। ये सारे वैसे ही काम कर रहे हैं। जैसे पार्टी का कोई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हो। यह आरोप मैं जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। राजस्थान में देख लीजिए। मोदी कल आकर गए हैं। आज ईडी के छापे शुरू हो गए। राजस्थान में बीजेपी कमजोर है, इसलिए ईडी को लगाया है। जहां बीजेपी कमजोर दिखती है। वहां ईडी, इनकम टैक्स को काम पर लगाया जाता है। तिवारी ने कहा कि गहलोत एक-एक व्यक्ति, एक-एक सीट को जानते हैं। उन्होंने कहा है कि 156 आएगी तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि 155 नहीं 156 ही आएगी।

तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं से किया कोई वादा नहीं निभाया। महिला आरक्षण का बिल लाए उसके भी लागू करने का कोई अता पता नहीं है। मुझे 44 साल राजनीति करते हो गए, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई बिल पास हो और उसके लागू होने के बारे में कोई अता-पता नहीं हो।

तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के डूबते हुए जहाज को सहयोगी दलों ने पहचान लिया है। इसके सहयोगी दल एक-एक कर इसे नाता तोड रहे हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके बीजेपी से नाता तोड लिया है। इससे राज्यसभा में उनका बहुमत कम हो गया है। बीजेपी के सहयोगी दल पिंड छुडाने के चक्कर में हैं। छोटे-छोटे दल इंतजार कर रहे हैं कि जैसे चुनाव की घोषणा हो। वैसे ही यह इस डूबते जहाज से निकल भागें।

आम सूचना दि. 27.09.2023
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की मेरे अभिभाष्य श्री प्रेम वर्मा व उनकी धर्म पत्नि श्रीमती देवकी वर्मा निवासी- ए-93 पानीपेच,नेहरू नगर, जयपुर, राजस्थान ने अपने इकलौते पुत्र श्री नरेंद्र कुमार वर्मा व उसकी पत्नि श्रीमती प्रियंका पाल तथा पौत्र लवेन वर्मा को अपनी समस्त चल- अचल सम्पत्तियो से बेदखल कर दिया है। अतः सूचित रहे।
भवदीय
सुनीता रानी एडवोकेट
राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर 9214610082

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर
दूरभाष संख्या-0141-4901853
आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या-4/एच/44 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 239.400 वर्ग मीटर का आवंटन डॉ. विजय माथुर पुत्र स्व. श्री ए.एल. माथुर को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1552 दिनांक 08.02.2005 जारी किया गया था। तत्पश्चात कार्यालय आदेश क्रमांक 5703 दिनांक 10.03.2005 जारी कर उक्त आवास के आवंटन में श्री विजय माथुर के नाम से श्रीमती मधुबाला माथुर का नाम जोड़कर आवंटन को संयुक्त नाम से किया गया। उनके द्वारा दोनों के संयुक्त नाम से आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर पंचम में दिनांक 14.03.2007 को करवाया गया।
उक्त दोनों आवंटियों में से श्री विजय माथुर की मृत्यु दिनांक 19.03.2013 को हो जाने के कारण श्रीमती मधु माथुर पत्नी स्व. श्री विजय माथुर के द्वारा आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, घोषणा पत्र, राशन कार्ड की छाया प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति एवं Relinquishment deed की छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है।
अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती मधु माथुर पत्नी स्व. श्री विजय माथुर के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ. मण्डल, जयपुर

खोया पाया

मेरे विला नं. 25, प्लाट नं. 28, कोरल क्रिमसन कोर्ट, श्रीराम विहार, जयपुरा विलेज, तहसील सांगानेर, जयपुर के मूल दस्तावेज जेडीए पट्टा, मूल रजिस्ट्री जो कि श्री विष्णु कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द्र के नाम से है, खो गए है कृपया मिलने पर सूचित करें-9414208305

मेरे आवास 268/126 प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर का मूल कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें-9079078204

प्रारूप-10 नियम 6(7) देखिए
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका शाहपुरा (जयपुर) राज.
क्रमांक-नपाशा/प्राधि/90-क/2023-24/2223 दिनांक-26.9.23
लोक सूचना श्री देशराज मीणा पुत्र श्री रामकिशोर मीणा निवासी ढाणी गोरिया, धनावता हसील उदयपुरवाटी, श्री हरिराम मीणा पुत्र श्री हनुमानसहाय मीणा, श्री हंसराज शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा निवासी बिदारा शाहपुरा बाबत चाहने राजस्व ग्राम बिदारा हसील शाहपुरा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (आवासीय) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-
जिले सहित तहसील का नाम-शाहपुरा जयपुर, ग्राम का नाम-बिदारा, खसरा नं.-1913/1079, कुल रकबा, क्षेत्र-1.2570 हैक्टर, 1.2570 हैक्टर
इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1953 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज .... को जारी की जाती है।
प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका शाहपुरा

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-9504 दिनांक-13.09.2023
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 64/437 (EWS) (एरिया 36.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती मोता देवी पत्नी श्री मूलचन्द को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1865 दिनांक 26.12.1991 को जारी किया गया। श्रीमती नीता देवी पत्नी श्री परमानन्द के पक्ष में उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 2773/3473 दिनांक 29.06.2010 के द्वारा किया गया। श्रीमती नीता देवी के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 13.05.2013 को उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये।
श्रीमती/सुश्री नीता देवी उर्फ नीता पमनानी की मृत्यु दिनांक 17.04.2021 को हो जाने के कारण इनके पति श्री परमानन्द पुत्र श्री धन्ना मल द्वारा उक्त आवास को स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है।
अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्री परमानन्द पुत्र श्री धन्ना मल का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा. मण्डल, जयपुर

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य मोहम्मद हनीफ कुरैशी पुत्र श्री रमजान निवासी-मकान नंबर 34, एन.बी. फैक्ट्री, राजीव नगर, हटवाडा, हसनपुरा, जयपुर के पुत्र वसीम मेरे अभिभाष्य की मर्जी विरूद्ध काम करता है तथा उसके कहने में नहीं है, इसलिए मेरे अभिभाष्य अपने पुत्र को अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति से बेदखल करता है, तथा भविष्य में यदि कोई व्यक्ति, संस्था किसी प्रकार का संव्यवहार करता है तो उसके लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। अतः सूचित रहें।
जयपुर (शबी अहमद बुखारी) एडवोकेट
दिनाक मो.नं. 9664214743

आम सूचना सभी जन साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किलान (1) जमील मोहम्मद (2) खलील मोहम्मद (3) शकील मोहम्मद पुत्रान स्व. श्री वजीर मोहम्मद निवासी 2349 बी, बालजी की कोठी का रास्ता, चौकडी तोपखाना हुजूरी, जयपुर के भाई अकील मोहम्मद का मेरे मुवक्किलान से कोई लेना देना नहीं है कोई भी व्यक्ति यदि अकील मोहम्मद से किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार या लेन देन करता है तो इसमें मेरे मुवक्किलान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।
जयपुर (शमी अली) एडवोकेट
दिनाक- मो.नंबर-9828075086

प्रेषक-मीना जैन पुत्री गुलाबचन्द पत्नी निर्मल जैन जाति जैन निवासी दूदूतहसील दूदू जिला दूदू राज.।
बनाम
प्रेषित- नंदकिशोर पुत्र श्यामसुन्दर मीणा जाति मीणा निवासी गागरडू तहसील दूदू जिला दूदू राज.
रजिस्टर्ड नोटिस
श्रीमानजी,
मेरे द्वारा आपको मेरे पिताजी की खातेदारी भूमि में उत्पन्न विवाद को निपटाने के वास्ते मुख्त्यारनामा दिया था जिसकी मूल प्रति मेरे पास है लेकिन फोटो प्रति आपको दी गई थी तथा मेरे पिताजी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 4226/1 रकबा 14 बीघा, खसरा नम्बर 4926/5 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 4927 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा में विवाद था जिसे मैंने मेरे हिसाब से निपटा लिया है तथा अब कब्जे संबंधी कोई विवाद शेष नहीं है तथा आपके पास जो फोटो प्रति वह अविलम्ब मुझे लोटाये तथा दिनांक 17.03.2023 को जो मुख्त्यारनामा आपको विवाद निपटाने बाबत दिया था उसे निरस्त किया जाता है भविष्य में इसका किसी भी प्रकार से दुरूपयोग नहीं करें तथा दुरूपयोग करने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे सो सूचित रहे।
प्रार्थीया-मीना जैन पुत्री गुलाबचन्दजैन
पत्नी निर्मल जैन जाति जैन
निवासी दूदू तहसील दूदू जिला दूदू राज.

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम-11 महानगर सांगानेर
भुवनेश मिश्रा बनाम बद्री वगै.
दावा बाबत CS 77/23
बनाम-
मुसम्मी V6 रेखा पुत्री वल्द ब्रदीनारायण पत्नि नामालूम कौम जाट साकिन निवासी ग्राम लदाना बाग की ढाणी तह. फागी
चूंकि वादी ने इस अदालत में तारीख 17.07.2023 को 1. भुवनेश मिश्रा बनाम 2. बद्री वगै. मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवल्की बद्री मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3. रेखा पुत्री बद्री पत्नि नामालूल बनाये जावें।
लिहाजा बजरिये हाजा वगर्ज जवाब देही 1. रेखा 27.09.2023 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजरी में सुना व किया जावेगा।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.09.2023को जारी किया गया।
रीडर
(मोहर अदालत) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-11 महानगर सांगानेर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड (राजस्थान)
अनिल बनाम जगदीश सिंह व अन्य
वाद बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट
वाद सं. 98सन् 2023
बनाम-
जगदीश सिंह पुत्र लादु सिंह, नन्दुसिंह पुत्र लादु सिंह, प्रहलाद सिंह पुत्र लादु सिंह, समस्त जाति राजपूत, समस्त निवासी ललाना, तहसील पावटा, जिलाकोटपूतली-बहरोड राजस्थान आपके विरूद्ध उपरोक्त के लिए वाद पंजीयन किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 20.10.2023 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता. 20 माह 09 सन् 23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
(मोहर) उपखण्ड अधिकारी
पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड

आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य मेन्टोर एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ग्राम कानोता, पटवार हल्का कानोता, भू.अ. नि. क्षेत्र कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 570 एवं 570/1 दिनांक 27.06.2013 एवं दिनांक 08.11.2013 को मेन्टोर इंटरनेशनल स्कूल के लिए लीज पर लिया गया है जो अभी भी वर्तमान में मेरे अभिभाष्य के पास किराये पर है जिसमें मेरा अभिभाष्य बतौर किरायेदार काबिज है। मेरे अभिभाष्य को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि उक्त भूमि को पवन कुमार गोयल एवं परिवारजन द्वारा विक्रय किया जा रहा है व मेरे अभिभाष्य को उक्त भूमि से बदनीयतपूर्वक बेदखल करना चाहता है। अतः सूचित किया जाता है कि उक्त भूमि को न तो विक्रय करें, गिरवी, न ही किराये पर देवें और न ही किसी को हस्तांतरित करें और न ही अपने किसी एजेंट व सर्वेंट से ऐसा कार्य करावें। सुनील शर्मा, एडवोकेट,
7 झ 29 जवाहर नगर, जयपुर-302004

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
समक्ष वाणिज्य न्यायालय, कम संख्या 2,
जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया विरुद्ध
मैसर्स माँ दधिमति एंटरप्राईजेज एवं अन्य
C.S.वाद बाबत 134/22 CIS वाद सख्या 53 सन् 2022
नाम 1 मैसर्स माँ दधिमति एंटरप्राईजेज, जरिये प्रोप्राईटर श्री नरोत्तम मिश्रा पुत्र श्री शंकर दत्त मिश्रा, एफ-27, फर्स्ट फ्लोर, पंजाब नेशनल बैंक के पास, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर(राज.)
2.श्री नरोत्तम मिश्रा पुत्र श्री शंकर दत्त मिश्रा, निवासी: 38, बृज विहार कॉलोनी, शिव मन्दिर के पास, जगतपुरा, जयपुर-302025 (राज.) एवम् प्लॉट संख्या-133, फ्लेट संख्या 4 सैकण्ड फ्लोर, हारमोनी रेजीडेंसी, अजमेर रोड, कनक विहार, जयपुर 302021
ने आपके विरूद्ध वसूली के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 29 माह 09 सन् 2023 को दिन में 10.30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समय दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नो का उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नो का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे एव दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है, पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा दाखिल /सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजो को लिखित कथन के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा।
यह आज दिनांक 26 माह 09 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।
समक्ष वाणिज्य न्यायालय, कम संख्या 2,
(मुहर) जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर

हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश क्रम सं. 17, जयपुर महानगर-द्वितीय मु. चौमू
शीला मीणा बनाम अशोक कुमार शर्मा (गौतम)
प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना-पत्र संख्या - 43सन् 2023
बनाम अशोक कुमार शर्मा (गौतम) पुत्र श्री मदनलाल शर्मा, निवासी-प्लॉट नम्बर-75 श्री एस.एन. विद्यापीठ स्कूल के सामने, सीतारामपुरी कॉलोनी, जमनापुरी, दिल्ली-अजमेर बाईपास, माचेडा के पास, जयपुर (राजस्थान)-302013
उक्त वादिनी शीला मीणा ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि वाके महानगर जयपुर दौलतपुरा रोड, बैनाड के पास ''गौतम नगर चतुर्थ'' बी-ब्लॉक में स्थित भूखण्ड संख्या-10-ए कुल क्षेत्रफल-90 वर्गगज आपसे जरिये इकरारनामा दिनांक 09.08.2017 खरीद किया जाना व स्वयं की कब्जेशुदा सम्पत्ति होना जाहिर कर आपके द्वारा वादिनी के उक्त प्लॉट के उपयोग व उपभोग में बिना वजह मजाहमत पैदा करना व बाईफोर्स बेदखल करने को आमादा होनाजाहिर कर पृथक से दीवानी वाद दायर किया है तथा दौरान दावा आपकों उक्त प्लॉट के वादिनी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 29 माह सितम्बर सन् 2023 को 10.30 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आवेदन की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज दिनांक 14 माह सितम्बर सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
न्यायाधीश-अपर सिविल न्यायाधीश
महानगर मजिस्टेट क्रम-17
(मोहर) जयपुर महानगर द्वितीय मुख्यालय चौमू

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश क्रम सं. 17, जयपुर महानगर-द्वितीय मु. चौमू
शीला मीणा बनाम अशोक कुमार शर्मा (गौतम)
वाद बाबतस्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं. 47सन् 2023
बनाम अशोक कुमार शर्मा (गौतम) पुत्र श्री मदनलाल शर्मा, निवासी-प्लॉट नम्बर-75, श्री एस.एन. विद्यापीठ स्कूल के सामने, सीतारामपुरी कॉलोनी, जमनापुरी, दिल्ली-अजमेर बाईपास, माचेडा के पास, जयपुर (राजस्थान)-302013
वादिनी शीला मीणा ने आपके विरूद्ध वाके महानगर जयपुर दौलतपुरा रोड, बैनाड के पास ''गौतम नगर चतुर्थ'' बी-ब्लॉक में स्थित भूखण्ड संख्या 10-ए, कुल क्षेत्रफल-90 वर्गगज आपसे जरिये इकरारनामा दिनांक 09.08.2017 खरीद किया जाना व स्वयं की कब्जेशुदा सम्पत्ति होना जाहिर कर आपके द्वारा वादिनी के उक्त प्लॉट के उपयोग व उपभोग में बिना वजह मजाहमत पैदा करना व बाईफोर्स बेदखल करने को आमादा होना जाहिर कर आपको उक्त प्लॉट के वादिनी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने व खर्चा मुकदमा वसूल करने के लिये वाद पंजीयन किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 29 माह 09 सन् 2023 को दिन में 10.30 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात होने के लिए सम्मन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अथवा नहीं अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह तारीख 14 माह सितम्बर सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
(मोहर अदालत) न्यायाधीश-अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-17,
जयपुर महानगर द्वितीय मुख्यालय चौमू

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
समक्ष वाणिज्य न्यायालय, कम संख्या 2,
जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया विरुद्ध
मैसर्स एमएनसी जोन एवं अन्य
वाद बाबत CIS 48/2022 CS वाद सख्या 164 सन् 2022
नाम-एमएनसी जोन, जरिये प्रोपाईटर श्री रविशंकर जाँगिड पुत्र प्रकाश चन्द, ग्राउण्ड फ्लोर,32, कटेवा नगर न्यू सांगानेर रोड जयपुर-302019 राजस्थान
2. श्री रविशंकर जाँगिड पुत्र प्रकाश चन्द, निवासी -प्लॉट संख्या 64 प्रेम नगर प्रथम गुर्जर की थडी, जयपुर-302019 एवं प्लॉट नं. डी-1, देवी नगर , सोडाला ,न्यू सांगानेर रोड के पास जयपुर-302019
ने आपके विरूद्ध वसूली के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 29 माह 09 सन् 2023 को दिन में 10.30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समय दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नो का उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नो का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे एव दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है, पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा दाखिल /सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजो को लिखित कथन के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यह आज दिनांक 26 माह 09 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।
समक्ष वाणिज्य न्यायालय, कम संख्या 2,
(मुहर) जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर

नाम परिवर्तन

मैं निशीगंधा अविनाश कोथलकर नं. 15444317P रेंक NK (Nur.Asst) नाम कोथलकर अविनाश एकनाथराव यह मेरे कानूनी रूप से विवाहित पति हैं, वर्तमान में गांव अचलपुर, पोस्ट अचलपुर, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती, राज्य महाराष्ट्र पिन-444806 में रहते हैं, मैंने अपना नाम बदल लिया है, निशीगंधा गजाननराव वानखडे से निशीगंधा अविनाश कोथलकर की नोटरी (भारत सरकार) अलवर (राजस्थान) के समक्ष शपथ पत्र संख्या BM0386453, Date 18.09.2023 के माध्यम से।

मैंने अपना गिरवर सिंह (Girver Singh) से बदलकर गिरवर सिंह शेखावत (Girwar Singh Shekhawat) पुत्र श्री भीम सिंह, रख लिया है भविष्य में इसी नाम से जाना जावें। पता-298, ए के गोपालन नगर, खातीपुरा, जयपुर-302012

मैं, अनिता कुमावत W/o No. 15684623W हवलदार प्रदीप कुमार मनेठिया, यूनिट साउथ वेस्टर्न कमांड, सिगनल रेजिमेंट C/o 56 APO. मेरे पति सेवा दस्तावेज में मेरा नाम गलती से अनिता कुमावत के स्थान पर अनिता दर्ज हो गया है। सही नाम अनिता कुमावत है। शपथ पत्र संख्या 2156, दिनांक 04.09.2023

मैंने अपना नाम Rajesh Kanhaiya Lal Vasu से बदलकर Rajesh Vasu पुत्र Kanhaiya Lal Vasu रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें निवासी 83, Sector-9, Near Rail Vihar Vidhyadhar Nagar, Jaipur

मैं सुनीता कडेल पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण कडेल निवासी डी-15, इनकमटैक्स कॉलोनी, टोंक रोड जयपुर मैंने अपना नाम बदलकर लीलावती कडेल रख लिया है। भविष्य में मुझे लीलावती कडेल पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण कडेल के नाम से जाना जावें। 9950832653

मैं लीलावती कडेल पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण कडेल निवासी डी-15, इनकमटैक्स कॉलोनी, टोंक रोड जयपुर यह सत्यापन करती हूँ कि मेरे पति का नाम लक्ष्मी नारायण कडेल है ना कि एल.एन. कडेल इसलिए भविष्य में उन्हें स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण कडेल के नाम से जाना जावें-9950832653

मैंने अपना नाम कलवा कुरैशी से बदलकर हामीद उर्फ कलवा रख लिया है। भविष्य में मुझे हामीद उर्फ कलवा पुत्र हकीमुद्दीन के नाम से जाना जावें। निवासी-60, समीर नगर, नाई की थडी, जवाहर पब्लिक विद्यालय, रामगढरोड, जयपुर

मैंने अपना नाम हितेश (Hitesh) से बदलकर हितेश रमेश चन्द्रा (HiteshRamesh Chandra) कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये। पता-1387/26, भगवान गंज, अजमेर-305001